


**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज ..... <u>उत्तरीक</u> ..... बनाम..... <u>प्रीपन्न</u> ..... मु.नं. <u>37/25</u> <u>F.I</u>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	---	---

25/5/25 पी.डी.सी. डायरी नं. 37-25-1-1 के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका।  
 पत्रावली के अनुसार दिनांक 6-6-25 को पेश हो।

6/6/25 दगावली पेश हुई। बख्तरान को फार-2  
 आवज दिलवाई गई। उभय पक्ष अनुपस्थित रहे।  
 दगावली लम्बे समय से गलती में लंबित है।  
 प्रार्थी को फार-2 निर्देशों के बावजूद भी प्रार्थी  
 द्वारा लंबित सम्मन / गमीले पेश नहीं किया  
 गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्रावली में  
 कोई कर्मवाही के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए  
 पत्रावली प्रार्थी की आज्ञाकारी व श्रम धरणी में  
 स्वस्थित की जाती है तथा दगावली में दिनांक  
 10-7-2023 को जारी अन्तरिम अर्थात् निषेधाज्ञा के  
 प्रचलन को समाप्त किया जाता है। दगावली फौज  
 शुभारंभ के दिनांक 5 फरवरी है।

  
**उपखण्ड अधिकारी**  
**मण्डावर (दौसा)**